संख्या-279/XXVII(7)न.भ./2007

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1— समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष,उत्तराखण्ड।
2— वित्त अधिकारी/कुलसचिव,समस्त राज्य विश्वविद्यालय,उत्तराखण्ड शासन।
3— समस्त अध्यक्ष,जिला पंचायतें,उत्तराखण्ड।

वित्त (वे0आ0—सा0नि0)अनुभाग—7 देहरादून:दिनांक 01 अक्टूबर,2007

विषय:— राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते का दिनांक 01 जुलाई 2007 से भुगतान।

पठित निम्नलिखित:—

1—शासनादेश संख्या—29/ XXVII(7)/2007,दिनांक 24 अप्रैल, 2007
2—भारत सरकार,के वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, कार्यालय ज्ञाप संख्या—1(8)/2007 संख्या—II(ख)/2:2 दिनांक:11सितम्बर, 2007.

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्र0 सं01 एवं 2में उल्लिखित शासनादेश दिनांक 24 अप्रैल,2007 एवं दिनांक: 11सितम्बर, 2007 के क्रम में राज्यपाल महोदय ने प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों व यू0जी0सी0 वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों का दिनांक 01 जुलाई 2007 से मंहगाई भत्ता 35 प्रतिशत से बढ़ाकर 41 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है।

2— इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते के संबध में शासनादेश संख्या—1—1599/दस—42 (एम)/97, दिनांक 23 नवम्बर,1998 के प्रस्तर—3,4,5 एवं 7 में उल्लिखित प्राविधान यथावत् लागू रहेंगे।

3— इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत /संशोधित दरों पर मंहगाई भत्ते को दिनांक: 01 जुलाई 2007, से उन कर्मचारियों जिनकी सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति 01 अक्टूबर,2005 या उसके बाद हुई हो अर्थात् अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित है, को छोड़कर शेष कर्मचारियों को देय धनराशि नकद भुगतान की जायेगी परन्तु 01 अक्टूबर,2005 या उसके बाद के कर्मचारियों के अवशेष (एरियर) भुगतान से 10 प्रतिशत पेंशन अंशदान तथा उतनी ही धनराशि नियोक्ता के अंश के साथ पेंशन सम्बधी सुसंगत लेखा शीर्षक में जमा किया जायेगा।

4— इस आदेशों के द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते के भुगतान की प्रकिया जो उपरोक्त प्रस्तरों में उल्लिखित है, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों पर लागू होगी।

5— ऐसे अधिकारियों /कर्मचारियों जिनके वेतनमान दिनांक 01—01—1996 से पुनरीक्षित नहीं किये गये हैं,के प्रकरण में दिनांक 01 जुलाई,2007 से मंहगाई भत्ता, वेतन के 83 प्रतिशत के आधार पर शासनादेश दिनांक 02 जून,1998 के प्रस्तर—5 में दी गई प्रकिया के आधार पर आगणित किया जायेगा।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव वित्त।

संख्या 279(1)/XXVII(7)/2007,एवं तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार,उत्तराखण्ड ओबराय भवन,माजरा,देहरादून।
2. समस्त कोषाधिकारी,उत्तराखण्ड,देहरादून।
3. वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक),भारत सरकार,वित्त मंत्रालय(व्यय नियंत्रण विभाग),कमरा नं–261,नार्थ ब्लाक,नई दिल्ली–110001 ।
4. सचिव, राज्यपाल महोदय,उत्तराखण्ड,देहरादून।
5. सचिव,विधान सभा,उत्तराखण्ड,देहरादून।
6. महानिबन्धक,उच्च न्यायालय,उत्तराखण्ड,देहरादून।
7. रीजनल प्रॉविडेन्ट फण्ड कमिश्नर,कानपुर/देहरादून।
8. निदेशक,कोषागार एवं वित्त सेवाएं,उत्तराखण्ड,देहरादून।
9. स्थानिक आयुक्त,उत्तराखण्ड,नई दिल्ली।
10. निदेशक,एन0आई0सी0,उत्तराखण्ड,देहरादून।

आज्ञा से,

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव।